

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा  
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के रांग/कैम्प कोर्ट)  
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उन्वान

बुराम पुत्र भागीरथजी बनाम 1. वीरवत आदि

बुरार वि० भोडराना

दावा बाबत :-

88-53-188 R 1A 4

मुकदमा नम्बर :-

166/17

निर्णय दिनांक :-

24.11.21

वादी की ओर से वकील दीवान सिंह की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील जातिर डौन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.11.21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक/भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर

आदेश दिया जाता है कि उपरवर्ती

बुरार वि० भोडराना वाद-वादी डी डी क्रिया जाता है

इस वाद में वर्णित भूमि के अनुसार राजीनामा को डी डी का


भाग पहले हुए पत्राचार के सिद्धा अनुसार स्वारा विभाजन

का अंश राजस्व रिपोर्ट में उक्त करें। अपीलवा, राजीनामा

डी प्रमाणित प्रति डी डी के साथ प्रस्तुत है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
श्रीमति शकुन्तला चौधरी  
( आर० ए० एस० )  
उपखण्ड अधिकारी भादरा  
हनुमागढ़